



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता, सिंथेसिस बिजनेस पार्क, (विंग-सी, 8वां तल्ला), सीबीडी/1,

जेएल-23, एक्शन एरिया - II, न्यू टाऊन, कोलकाता - 700 156

**Regional Office - Kolkata, Synthesis Business Park, (Wing-C, 8th Floor),**

CBD/1, JL-23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700 156

टेल / Tel : (033) 2324 8081 (EPABX) ईमेल / e-mail : rokolkatta@nhai.org, rokolnhai@gmail.com वेब / Web : www.nhai.gov.in



संदर्भ / Ref. no. ....NHAI/RO-KOL/001/2025/18/37/ 699

दिनांक / Date .....27<sup>th</sup> June 2025

## INVITATION OF PUBLIC COMMENTS / सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

**विषय:** एनएच-32 पर उल्लिखित स्थानों पर पानी की पाइपलाइन (एचडीपीई) बिछाने के लिए एनएच भूमि का उपयोग करने की अनुमति [जेआईसीए / डब्ल्यूबीपीडब्ल्यूएसपी (पुरुलिया), पीएचई निदेशालय के अधीन अनुमति प्रदान करने के संबंध में: **Permission for using NH land for laying water pipeline (HDPE) on NH-32 at the subject locations mentioned [under JICA / WBPWSP (Purulia), PHE Dte. - Reg.**

परियोजना निदेशक, पीआईयू, पुरुलिया, एनएचएआई ने पत्र संख्या एनएचएआई/पीआईयू-पुरुलिया-चांडिल/आरओडब्ल्यू अनुमति/2025/376 दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए पीएचई निदेशालय के किमी 96+900 से किमी 98.200 (एलएचएस) (97+200 से 97+285 को छोड़कर) [सड़क के साथ] और किमी 98+200 पर क्रॉसिंग तक पानी की पाइपलाइन का विषय उल्लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। /Project Director, PIU, Purulia, NHAI vide letter no. NHAI/PIU-Purulia-Chandil/ROW Permission/2025/376 dated 27.05.2025 submitted the subject mentioned proposal of water pipeline from Km. 96+900 to Km 98.200 (LHS) (except 97+200 to 97+285) [along the road] & crossing at Km. 98+200 of P.H.E. Dte. for granting license for use of National Highway land.

1. मंत्रालय के परिपत्र ओएम संख्या आरडब्ल्यू/एनएच/33044/29/2015/एस एंड आर (आर) दिनांक 22-11-2016 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए उपयोगिता सेवा के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर 30 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा। /As per Ministry circular issued vide OM no RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.
2. उपरोक्त विषयांकित सार्वजनिक नोटिस के आलोक के प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके उपरान्त कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी। / In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं/ The Comments may be submitted at the following address:

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
सिंथेसिस बिजनेस पार्क, कार्यालय इकाई - 8सी (विंग सी, 8वीं मंजिल), सीबीडी/1, जेएल-23, एक्शन एरिया-II, न्यू टाऊन, कोलकाता-700156

**Chief General Manager (Tech) & Regional Officer**  
Regional Office, National Highways Authority of India, Synthesis Business Park, Office Unit - 8C (Wing C, 8<sup>th</sup> Floor), CBD/1, JL - 23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700156

*(Signature)*

Contd...2

(2)

3. यह सूचना सीजीएम (तकनीकी) एवं आरओ-कोलकाता, एनएचएआई के अनुमोदन से है / This issues with the approval of CGM(Tech) & RO-Kolkata, NHAI.



(आशीष श्यौरान)

उप प्रबंधक (तकनीकी)

**प्रतिलिपि:**

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई-मुख्यालय-एनएचएआई वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड हेतु प्रेषित / Web Admin, NHAI-HQ - with request to upload under "What's New" of NHAI web site.
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001- प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित। / Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001- with the request to upload under "What's New" of Ministry's Web Site for 30 days from the date of publication.
3. परियोजना निदेशक, पीआईयू, एनएचएआई- पुरुलिया को सूचनार्थ प्रेषित। / Project Director, PIU-NHAI, Purulia - for information.
4. कार्यकारी अभियंता, डब्ल्यूबीपीडब्ल्यूएसपी, पुरुलियाद्वारे पीएचई निदेशालय पुरुलिया डिवीजन को सूचनार्थ प्रेषित। / The Executive Engineer, WBPWSP (Purulia), PHE Dte., Purulia Division- for information.